



आवेदक संस्था:- कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट का नाम:- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "कैवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 237.860 से 322.035 कुल 84.175 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।

वचन पत्र

Whether forms part of National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve, Tiger Reserve, Elephant Corridor, Wildlife Migration Corridor etc.

आवेदक संस्था कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "कैवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 227.160 से 322.035 कुल 44.875 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त परियोजना जिस वनक्षेत्र से गुजरती है उस पर किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, बायोस्फीयर रिजर्व, टाईगर रिजर्व एवं हाथी कॉरीडोर एवं वन्यजीव प्रवासन कॉरीडोर आदि का हिस्सा नहीं है।

वनमंडलाधिकारी
वन संरक्षण अधिकारी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)



आवेदक संस्था:- कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट का नाम:- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "केंवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 237.860 से 322.035 कुल 84.175 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।

वचन पत्र

Whether the Forest Land proposed for Diversion is located within Eco-Sensitive Zone (ESZ) of the Protected Area Notified under Wildlife (Protection) Act, 1972.

आवेदक संस्था कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "केंवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 227.160 से 322.035 कुल 44.875 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त परियोजना में डायवर्सन के लिये प्रस्तावित वनभूमि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं है।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



आवेदक संस्था:- कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट का नाम:- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "केंवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 237.860 से 322.035 कुल 84.175 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।

वचन पत्र

Whether any National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve, Tiger Reserve, Elephant Corridor, Wildlife Migration Corridor etc. is located within 1 Km. from Boundary of the Forest Land proposed for Diversion.

आवेदक संस्था कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "केंवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 227.160 से 322.035 कुल 44.875 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त परियोजना जिस वनक्षेत्र से गुजरती है उस पर किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, बायोस्फीयर रिजर्व, टाईगर रिजर्व एवं हाथी कॉरीडोर एवं वन्यजीव प्रवासन कॉरीडोर 1.00 कि.मी. के दायरे में नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल बिलासपुर
बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



आवेदक संस्था:- कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट का नाम:- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "केंवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 237.860 से 322.035 कुल 84.175 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।

वचन पत्र

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area.

आवेदक संस्था कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "केंवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 227.160 से 322.035 कुल 44.875 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त परियोजना जिस वनक्षेत्र से गुजरती है उस पर किसी भी प्रकार का वनस्पतियों और जीवों की कोई दुर्लभ/संकटग्रस्त/अद्वितीय प्रजाति नहीं पाई जाती है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल बिलासपुर
बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)



आवेदक संस्था:- कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट का नाम:- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "केंवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 237.860 से 322.035 कुल 84.175 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।

वचन पत्र

Details of Wildlife Present in and Around the Forest Land proposed for Diversion

आवेदक संस्था कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "केंवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 227.160 से 322.035 कुल 44.875 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त परियोजना जिस वनक्षेत्र से गुजरती है उस पर भालू, सियार, लकलबग्घा, हिरण इत्यादि छोटे जानवर पाये जाते हैं।

वनमंडलाधिकारी
वन मंडल बिलासपुर
जिला वनमंडल अधिकारी (स.ग.)
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (स.ग.)